

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं० स०-04/STA-(विविध)-137/2015

पटना, दिनांक-

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-4221, दिनांक-12.06.2019 द्वारा राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर विभिन्न अपील वादों में परिवहन विभाग का पक्ष रखने हेतु श्री संजीव कुमार, (मो० नं०-9934791905/8709190443), अधिवक्ता (ए०ओ०आर० नं०-02081), पटना उच्च न्यायालय, पटना (पता-कमला निवास, रोड नं०-9, अशोक नगर, द्वारिका कॉलेज के निकट, कंकड़बाग, पटना) को नामित किया गया है एवं प्रति कार्यदिवस 1500/-रु० निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर विभिन्न अपील वादों में परिवहन विभाग(मुख्यालय), राज्य परिवहन प्राधिकार एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की ओर से पक्ष रखने हेतु भी श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को नामित किया जाता है।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/ श्री संजीव कुमार, (मो० नं०-9934791905/8709190443), अधिवक्ता (ए०ओ०आर० नं०-02081), पटना उच्च न्यायालय, पटना (पता-कमला निवास, रोड नं०-9, अशोक नगर, द्वारिका कॉलेज के निकट, कंकड़बाग, पटना)/आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचना प्रारूप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

6/66

पटना, दिनांक-

24-07-26

प्रतिलिपि:-अपर सचिव, परिवहन विभाग/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं० सं०-04/STA-(विविध)-137/2015

पटना, दिनांक-

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं०-4221, दिनांक-12.06.2019 द्वारा राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर विभिन्न अपील वादों में परिवहन विभाग का पक्ष रखने हेतु श्री संजीव कुमार, (मो० नं०-9934791905/8709190443), अधिवक्ता (ए०ओ०आर० नं०-02081), पटना उच्च न्यायालय, पटना (पता-कमला निवास, रोड नं०-9, अशोक नगर, द्वारिका कॉलेज के निकट, कंकड़बाग, पटना) को नामित किया गया है एवं प्रति कार्यदिवस 1500/-रु० निर्धारित किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर विभिन्न अपील वादों में परिवहन विभाग(मुख्यालय), राज्य परिवहन प्राधिकार एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की ओर से पक्ष रखने हेतु भी श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को नामित किया जाता है।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

6/66

पटना, दिनांक-

24-07-26

प्रतिलिपि:-अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/ श्री संजीव कुमार, (मो० नं०-9934791905/8709190443), अधिवक्ता (ए०ओ०आर० नं०-02081), पटना उच्च न्यायालय, पटना (पता-कमला निवास, रोड नं०-9, अशोक नगर, द्वारिका कॉलेज के निकट, कंकड़बाग, पटना)/आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचना प्रारूप को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।